राजस्थान सरकार
निदेशालय, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
वित्त भवन, ए—ब्लॉक, ज्योति नगर जनपथ, जयपुर—302005
(दूरभाष नं.:—0141—2740837, **फैक्स** 0141—2742309, **ई मेल**:—jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक : एफ.4(ई)(लिंक नं. 10561/2013)/अलेसे—II/ 88 दिनांक :— 20/04/2023

कार्यालय आदेश

निम्नांकित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड—II को उनके आवेदन के अनुसरण में निम्न परीक्षा में सम्मिलित होने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

क्र. सं.	लिंक नं.	नाम सहायक लेखाधिकारी ग्रेड—II	नाम परीक्षा	आयोजक संस्था	वर्तमान मुख्यालय
1	2	3	4	5	6
1	10561	श्रीमती रीना यादव, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड—II	एम.ए. प्रथम वर्ष (हिन्दी) सत्र—2023—24 (स्वयंपाठी)	इग्नू विश्वविद्यालय	बाल विकास परियोजना अधिकारी, बुहाना (झुन्झुनूं)

उक्त स्वीकृति राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम 1971 के प्रावधानों एवं नियुक्ति आदेश में वर्णित शर्तों के अतिरिक्त निम्न शर्तों के अध्यधीन होगी :—

1 शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय कार्यालय समय के समान ही हो तो उक्त स्वीकृति स्वतः समाप्त मानी जायेगी।

2 विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने पर आपके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

3 परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति के अन्तर्गत परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।

4 उक्त स्वीकृति दिये जाने से किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल सकेगा और उस दौरान अन्यत्र स्थानान्तरण किया जा सकता है।

5 उक्त स्वीकृति के कारण राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा/व्यवधान उत्पन्न होने पर यह स्वीकृति समाप्त कर दी जायेगी।

6 प्रत्येक वर्ष के लिये अलग—अलग स्वीकृति लेनी आवश्यक होगी।

7 प्रशासनिक कारणों से उक्त स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त की जा सकती है।

(भूपेश माथुर)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक : एफ.4(ई)(लिंक नं. 10561/2013)/अलेसे—II/ 88 दिनांक :— 20/04/2023

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. बाल विकास परियोजना अधिकारी, बुहाना (झुन्झुनूं)।
2. श्रीमती रीना यादव, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड—II कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी, बुहाना (झुन्झुनूं)।
3. निजी सचिव, निदेशक।
4. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

(के. जी. गुप्ता)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक—II/III)

E:\2019\JITENDRA JI\N.O.C.DOCX:- 45